न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 657/21

उनवानी दावा :

निर्णय दिनांक :– 29/10/21

गोपाल लाल बनाम तहसीलदार देवली

उपस्थिति :–

प्रार्थी

तहसीलदार देवली/दुनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/ आदेश प्रशासन गांव के संग 2021 कैम्प राउमावि 2 में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार देवली को अपना नाम वाके ग्राम चान्दली जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 112 में दर्ज गोपाल पुत्र सुवा के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र सुवालाल दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया।

तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का चान्दली व भू0अ0नि0 चान्दली की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा करते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को पेश की गई। पत्रावली कैम्प में दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार देवली से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को वाके ग्राम चान्दली जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 112 में दर्ज गोपाल पुत्र सुवा के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र सुवालाल दुरूस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुल न्यायालय कैम्प राउमावि 2 में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned by CamScanner